न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2914–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–12–12 सहपठित आदेश दिनांक 24–8–15 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण कमांक कमशः 02/12–13/निग0 व 12/2012–13/पुनरावलोकन.

1– विनोद शर्मा पुत्र हरविलास
2– माता प्रसाद पुत्र भूरेलाल
निवासीगण ग्राम बेहटा, तहसील
व जिला ग्वालियर, म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1–बालाराम पुत्र कलयाण सिंह (मृत) वारिसानः–

1–अ. प्रकाश
2–ब. रामऔतार
3–स. निहाल सिंह
सभी पुत्रगण स्व0 बालाराम
निवासी ग्राम बेहटा तहसील व जिला ग्वालियर
2– गीता बाई पुत्री पुरूषोत्तम
3– बेबी पुत्री पुरूषोत्तम
4– मीरा पुत्री पुरूषोत्तम
5– सुधा पुत्री पुरूषोत्तम
6– विमलेश पत्नी बबलू
7– शुभम अवयस्क पुत्र बबलू
8– नेहा अवयस्क पुत्री बबलू
अनावेदक 7 एवं 8 द्वारा संरक्षक माता विमलीश पत्नी बबलू
9– जगदीश पुत्र बालमुकुन्द
10–जण्डेल पुत्र बालमुकुन्द
11–हरचरण लाल पुत्र रामदयाल
12–रामाधार पुत्र प्रभुदयाल
समस्त निवासीगण ग्राम बेंहटा, तहसील
व जिला ग्वालियर
13–जगदीश पुत्र मातादीन
निवासी ग्राम खुदरपुरा तहसील व
जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.जी. एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कं0 1 के वारिसान

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 02/12–13/निग0 में पारित आदेश दिनांक 24–12–12 एवं प्रकरण कमांक 12/2012–13/पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 24–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 के पिता हरविलास व आवेदक कमांक 2 माता प्रसाद द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 169,190 व 110 के अंतर्गत 25 व्यक्तियों के विरूद्ध इस आशय का आवेदन पत्र दिनांक 23–8–91 को प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बेंहटा तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1191/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे कमांक 1191/3 रकबा 4 बिस्वा, 1191/4 रकबा 5 बिस्वा, सर्वे कमांक 1197/8 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा पर वे शिकमी कृषक की हैसियत से लगभग 35 वर्षो से काबिज होंकर कृषि कार्य कर रहे हैं, इसलिये उन्हैं उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमियों पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गय हैं । अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर उनका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/91–92/अ–46 दर्ज कर दिनांक 30–1–95 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों पर संहिता की धारा 169, 190 के अंतर्गत भूमिस्वामी दर्ज किया जाना एवं संहिता की धारा 110 के अंतर्गत नामांतरण किया जाना आदेशित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 24–5–2007 को लगभग 12 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–10–2010 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–1–95 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित

सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सनुवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–12–12 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–8–15 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन निरस्त किया गया । आयुक्त द्वारा पारित उपरोक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध स्वर्गीय बालाराम को अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका कोई स्वत्व अथवा अधिकार नहीं था, इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, और असाधारण विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवेक का उचित प्रयोग नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना दिये एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, और इस बिन्दु पर बिना विचार किये आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से उठाये गये आधारों पर एवं प्रस्तुत तर्को पर बिना विचार किये संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कं0 1 द्वारा अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नाधीन भूमियों में से 1.098 हैक्टेयर भूमि उसके द्वारा कय कर ली गई हैं । इस सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 05–ए/2012 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2012 से व्यवहार वाद स्वीकार किया जाकर, अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र अप्रमाणित पाया गया है और

इस आदेश के विरूद्ध अपील भी निरस्त हो चुकी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त के आदेश दिनांक 24–12–12 के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के आधार पर पुनर्विलोकन निरस्त किया गया है, जो न्यायालयीन प्रकिया के विपरीत है, क्योंकि आयुक्त को पुनर्विलोकन का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमि स्वामियों द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर अनावेदक कमांक 1 द्वारा 12 वर्ष प्रश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी की आदेशिका दिनांक 13–10–10 में अपील अस्वीकार किये जाने का उल्लेख है, फिर 13–10–10 को अपील स्वीकार कैसे हो सकती है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के वारिसान के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 बालाराम द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी पुरूषोत्तम से उसके हिस्से की भूमि वर्ष 1982 में पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय कर लिये जाने से पुरूषोत्तम के सारे स्वत्व समाप्त हो चुके थे, इसके बावजूद पुरूषोत्तम के विरूद्ध करार के आधार पर तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 169,190,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बालाराम एवं सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और तहसीलदार द्वारा यह प्रमाणित नहीं पाते हुए कि करार कितने समय के लिये किया गया है, और लगान अदा किया जा रहा है, अथवा नहीं आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमियों के पुरूषोत्तम भूमिस्वामी नहीं थे, और अनावेदक कमांक 1 भूमिस्वामी था, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर आवेदकगण को स्वत्व प्रदान करने में संहिता की धारा 169(2), 190 व 110 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि बालाराम को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित विकय पत्र को प्रमाणित नहीं माना है, क्योंकि जिस दिनांक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त दिनांक को अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व व हक प्राप्त थे । जहां किसी पक्षकार साक्ष्य अथवा सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया गया हो, वहां दुखी पक्षकार को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है ।

(4) आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 12 वर्ष 4 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है क्योंकि जहां किसी हितबद्ध व्यक्ति को बिना पक्षकार बनाये और बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया हो, वहां जानकारी के दिनांक से समय सीमा लागू होगी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील का निराकरण किया गया है, इसलिये अब इस स्तर पर आवेदकगण को अवधि के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसमें समय सीमा लागू नहीं होती है ।

(5) आवेदकगण द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/1991–92/अ–46 के आधार पर व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों का आवेदकगण को भूमिस्वामी नहीं माना गया है, और व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील भी निरस्त हो चुकी है, अतः आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण कराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नामांतरण की कार्यवाही स्वत्व के आधार पर होती है ।

(6) राजस्व मण्डल द्वारा अनेक प्रकरणों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जिस व्यक्ति का खसरे के कॉलम नं0 4 में उपकृषक के रूप में नाम दर्ज हो, वहीं व्यक्ति संहिता की धारा 169(2),190 व 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है, जबकि आवेदकगण का नाम खसरे के कॉलम नं0 4 में दर्ज नहीं होकर खसरे के कॉलम नं0 12 में नाम दर्ज है ।

(7) अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(8) बालाराम को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने सम्बन्धी आपतित अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं उठाई गई इस न्यायालय में नहीं उठाई जा सकती है ।

तर्क के समर्थन में 1981 आर0एन0 440, 1987 आर0एन0 189, 1990 आर0एन0 377, 1996 आर0एन0 69 व 144 एवं 1999 आर0एन0 196 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1–अ,1–ब एवं 1–स के पिता बालाराम द्वारा अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–1–1995 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24–5–2007 को लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाते हुए केवल इस आशय का उल्लेख किया गया है कि जब आवेदक का रकबा कम कर दिये जाने पर उसे संशोधित कराने हेतु संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जब आदेश की जानकारी हुई । चूंकि अपर तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में दिनांक 8–6–92 को बालाराम द्वारा उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग लिया गया है । इसी कारण अनावेदक बालाराम की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, और न ही यह उल्लेख किया गया है कि अपर तहसीलदार द्वारा उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । जानकारी का स्त्रोत भी त्रुटिपूर्ण बतलाया गया है । यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि बालाराम द्वारा अपर तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में दिनांक 8–6–92 को उपस्थित होने के उपरांत लगभग 3 वर्ष तक अपर तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया । यहां तक वर्ष 2007 तक अपर तहसीलदार के प्रकरण हुई अग्रिम कार्यवाही की जानकारी नहीं ली गई,जो कि घोर लापरवाही का द्योतक है । इस सम्बन्ध में 1992 आर0एन0 लंगरी

(श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 5 – विलम्ब– सद्भाविक – अर्थ–कार्यवाही में अनुपस्थित तथा अपने काउन्सिल से सम्पर्क करने का कभी प्रयास नहीं किया अथवा मामले के भाग्य के वि ाय में जांच करने का कोई कदम नहीं उठाया– पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है – इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता । "

इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 12 वर्ष के असाधारण विलम्ब को क्षमा किया गया है । इस सम्बन्ध में 2000 आर0एन0 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में न्याय दृष्टांत 1999 एम.पी.जे.आर. 78 पर अवधारित होकर निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 5 – विलम्ब की माफी – ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो । "

" धारा 5– अधिनियम का उपबंध – उद्देश्य– जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है, उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो– विलम्ब की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है । "

जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि बालाराम की ओर से अवधि विधान की धारा 5 में विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अपने आदेश में विलम्ब क्षमा करने के सम्बन्ध में सकारण निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । इस सम्बन्ध में 1989 आर0एन0 243 गोदावरी बाई विरूद्ध विमलाबाई में न्याय दृष्टांत 1962 ए. आई.आर.(एस.सी.) 361 पर अवधारित होकर निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 5–विलम्ब के लिये माफी देना–प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया –पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया–पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलम्ब के लिये माफी नहीं दी जा सकती है । "

अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से परिलक्षित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करते समय विलम्ब क्षमा किया गया है । इस सम्बन्ध में 1993 आर0एन0 4 लक्ष्मीबाई तथा अन्य विरूद्ध श्रीमती गेंदाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 44(1) व 47 – समय वर्जित अपील– अपील न्यायालय का कर्तव्य एवं शक्तियां–सर्व प्रथम परिसीमा विवाद्यक विनिश्चित किया जाना चाहिए–गुणागुण पर आदेश केवल परिसीमा विवाद्यक के विनिश्चयन के पश्चात् पारित किया जा सकता है ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उपरोक्त कारणों से अवैधानिक एवं अनियमित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है कि अपर तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी जाकर, मनमानें ढंग से एक तरफा कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, परंतु उनके द्वारा इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अन्य पक्षकारों द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर केवल बालाराम द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि अपर तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में उपस्थित हुआ है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर भी आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनौचित्यपूर्ण कार्यवाही की गई है, इस कारण भी उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा विधि–विपरीत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनके द्वारा प्रकरण कमांक 02/12–13/निग0 में पारित आदेश दिनांक 24–12–2012 निरस्त किये जाने योग्य है । इसी प्रकार आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 12/12–13/पुर्न0 में दिनांक 24–8–15 को आदेश पारित कर इस आधार पर पुनर्विलोकन निरस्त किया गया है कि उनके द्वारा मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24–12–2012 के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि संहिता की धारा 51 के अंतर्गत आयुक्त को यह विचार करना था कि उनके आदेश के

पुनर्विलोकन आधार प्रकरण में है अथवा नहीं । इस प्रकार आयुक्त द्वारा पारित आदेश 24–8–15 भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ जहॉ तक अपर तहसीलदार के आदेश की वैधानिकता का प्रश्न है, आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 05–ए/2012 ई.दी. प्रस्तुत किया गया था, जिसमें षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 ग्वालियर द्वारा दिनांक 18–12–2012 को आदेश पारित कर आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का स्वामित्वधारी एवं आधिपत्यधारी होना आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है । इससे यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को संबंधित भूमिस्वामियों द्वारा पटटे पर दी गई थी । 1987 आरएन 216 पूरनसिंह विरूद्ध मंगलिया तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"(2) भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)–धारा 168 (1) एवं 250 (1–क)–विधान मण्डल का आशय – भूमि पर एक वर्ष की कालावधि के लिये पटटेदार प्रतिष्ठित किया गया–परिणाम।

विधान मण्डल का यह आशय था कि यदि भूमिस्वामी द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पटटेदार के रूप में एक वर्ष की कालावधि के लिये भी भूमि पर प्रतिष्ठित किया जाता है तो पटटे की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् दो वर्ष के भीतर उसे बेदखल करने की कार्यवाही न करने की दशा में ऐसा पटटेदार वैध रूप से यह दावा कर सकता है कि यह माना ही जायेगा कि यह पटटा धारा 168(1) के अधीन एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये दिया गया था एवं तीन वर्ष या उससे अधिक के लिये था ।

अन्यथा, विधान मण्डल की इस अपेक्षा का कोई अर्थ नहीं हो सकता कि जब भूमिस्वामी द्वारा कोई भूमि धारा 168 के उल्लघंन की कालावधि के लिये पटटे पर देता है तो उस भूमि पर आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति को मौरूसी काश्तकार के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे ।

(3) भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 169 तथा 190 – भूमिस्वामी अधिकार– भूमि के जोतने वाले को कब प्रदत्त होते है– विधान मण्डल का आशय ।

विधान मण्डल यह स्पष्ट करना चाहता था कि यदि भूमिस्वामी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति या तो पटटा या किसी व्यवस्था के अधीन लगातान तीन वर्ष तक भूमि पर

काबिज था एवं यदि भूमिस्वामी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से खेती करने के लिये भूमि पुर्नग्रहण नही की है तो ऐसे व्यक्ति को मौरूसी काश्तकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । अवश्य ही, धारा 190 में भूमिस्वमी अधिकार प्रदान करने के उपबन्ध निर्मित करने में ऐसे मौरूसी काश्तकार के अधिकार एवं हितकाय का विस्तार करने के लिये कुछ और अधिक भी किया गया है । वास्तव में यह भूतपूर्व भूमिस्वामी का स्वामित्व अधिकार समाप्त करके उसके अधिकार समाप्ति के लिये संहिता की धारा 190 की उपधारा (3) के अनुसार उसे केवल क्षतिधन देकर किया गया है । संहिता ऐसे मौरूसी काश्तकार को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करती है जिसे धारा 169 के प्रभाव से धारा 190 की उपधारा (2–क) के अनुसार ऐसे अधिकार प्राप्त हो गये हैं और नये भूमिस्वामी पर पुराने भूमिस्वामी को उसके अधिकार के कानूनी अन्तरण के लिये उपधारा (3) के अधीन क्षतिधन के भुगतान करने का उत्तरदायित्व डाला गया है ।''

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2015 व 24–12–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2010 निरस्त किये जाते हैं । अपर तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–01–1995 स्थिर रखा जाकर, निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर